FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ...मुकाम...

खेमाराम व अन्य ...बनाम... नसीरखाँ वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR Act- नं. ... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.3.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/3/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/03/2020	पत्रावली आज पेश हुई, विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। कोविड-2019 होने से कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 27/05/2020 को पेश हो। [initials]	
27/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 15/06/2020 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:13:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय
...क/आवेदन/2020/40...
राजस्व आवेदन संख्या –56/2...
प्रार्थी
श्री खेमाराम पुत्र मुकन...
वगैरा 8, जाति–कुम्हार...
निवासी–पाबसरा, को...

15/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण शामिल मिसल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेडा मेड मिले हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य जो पुरानी मेड व धोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेडे का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेडे को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेडे का सही ज्ञान करने के लिए पैमाईशबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाईशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाईशबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाईशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नागौर को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाईशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:13:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 405 दिनांकः– 15/6/2020

राजस्व आवेदन संख्या –56 / 2020

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री खेमाराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 8, जाति–कुम्हार, निवासी–पाबुसरा, कोलू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री नसीर खां पुत्र हकीम खां वगैरा 20,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पाबुसरा पटवार हल्का कोलू, तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 27, 49, 52 रकबा क्रमशः 01.12, 244.07, 00.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 15/6/2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 406-410

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 8।
4. विप्रार्थीगण श्री नसीर खां पुत्र हकीम खां वगैरा 20।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 18:13:05 IST
Reason: SelfAttested